नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

1 कोयला क्षेत्र में उत्पादन और दक्षता बढ़ाने से संबंधित उपायः उन्नत अन्वेषण प्रयास

सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई विभागीय संसाधनों, एमईसीएल और निविदा के माध्यम से कार्य निष्पादित करता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग की तुलना में लक्ष्य और चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(लाख मीटर में ड्रिलिंग)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि%
2016-17	3.48	3.08	7.32
2017-18	4.99	4.86	57.79
2018-19	5.93	4.84	-0.41
2019-20	8.16	6.96	43.80
2020-21	5.16	6.45	-7.32
2021-22	1.90	1.38 (अप्रैल'21–नवंबर'21)	

नोटः 2021.22 के लिए आंकड़ा अनंतिम है।

उपलब्धि में कमी कोयला मंत्रालय द्वारा 25 ब्लॉकों को कम बंद करने, शिविरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने, तलचर और खोसला शिविरों के 7 रिगों को 1 महीने से अधिक समय से प्रतिकूल कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण निष्क्रिय होने, कोविड– 19 लॉकडाउन, प्रतिबंधित आवाजाही, कुछ ब्लॉकों में गंभीर कानून–व्यवस्था की समस्याए वन मंजूरी की अनुपलब्धता आदि के कारण हैं।

सीएमपीडीआई ने सीआईएल और गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभागीय क्षमता को 2017–18 में 4.51 लाख मीटर से बढ़ाकर 2020–21 में लगभग 4.85 लाख मीटर कर दिया है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सीआईएल ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग और चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(लाख मीटर में ड्रिलिंग)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि%
2016-17	7.20	7.97	12.89
2017-18	7.04	8.48	6.40
2018-19	7.13	8.34	-1.65
2019-20	6.30	5.80	-30.46
2020-21	4.95	5.45	-6.03
2021-22	4.35	2.05 (अप्रैल'21–नवंबर'21)	

नोटः 2021–22 के लिए आंकड़ा अनंतिम है।

2. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनीकृत नीति पर जोर

उत्पादन स्तर के उच्च ट्रेजेक्ट्री को 600 मिलियन टन (मि.ट.) के अपने पिछले स्तरों को बनाए रखने और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ कोयले के गैर–आवश्यक आयात को समाप्त करने के लिए, सीआईएल ने समयबद्ध तरीके से 1 बिलियन टन (बि.ट.) कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। सीआईएल ने प्रमुख संसाधनों की पहचान की है और अनुमानित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनके संबंधित मुद्दों का आकलन किया है। हालांकि, भविष्य में लक्ष्यों को पूरा करना वास्तविक मांग परिदृश्य पर निर्भर करेगा जो विकास के भविष्य के पाठ्यक्रम की शर्तों को निर्धारित कर सकता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में 600 मिलियन टन (मि.ट.) का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। 2021–22 में, वार्षिक योजना लक्ष्य 670 मि.ट. आंका गया है और सीआईएल की संशोधित 1 बि.ट. की योजना के अनुसार 2022–23 के लिए अनुमान 700 मि.ट. है। 2021–22 की समूह–वार उत्पादन योजना और जनवरी'20 से नवंबर'21 तक वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है।

(आंकड़े मि.ट. में)

सीआईएल	2021.22	जनवरी'21 से नवंबर'21	2022.23
	ब.अ. (एपी लक्ष्य)	वास्तविक (अनंतिम)	अनुमान
मौजूदा और पूर्ण	271.06	216.33	700
जारी परियोजनाएं	398.73	340.53	
भावी परियोजनाएं	0.21	00	
कुल	**670**	**556.86**	

सीसीएल में उत्तरी करनपुरा, एसईसीएल के कोरबा और एमसीएल में आईबी और तलचर कोलफील्ड से उत्पादन में एक बड़ी वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

3. परियोजनाओं को पूरा करना और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

2021 के दौरान, 16 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और सीआईएल में 05 खनन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

आज की तारीख के अनुसार 904.81 एमटीवाई की कुल स्वीकृत क्षमता और 132645.22 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत पूंजी के साथ 121 जारी कोयला परियोजनाएं (20 करोड़ रुपए और अधिक की लागत) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और पूरा होना महत्वपूर्ण बाहरी कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि भूमि का कब्जा, हरित मंजूरी, निकासी बुनियादी ढांचा आदि।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

क) झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भूमि के कब्जे में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार अनुनय–विनय। इसके अलावा, भूमि मालिकों को लगातार मुआवजा स्वीकार करने और कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि को सौंपने के लिए राजी किया जा रहा है।

ख) एफसी के अनुदान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ निरंतर समन्वय और संपर्क।

ग) लगातार कानून और व्यवस्था के मुद्दों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी स्तरों पर कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को लगातार राजी किया गया है।

घ) सहायक कंपनी और सीआईएल स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कोयला मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली और/या 3 एमटी क्षमता और उससे अधिक की परियोजनाओं की तिमाही आधार पर समीक्षा की

और नवंबर'21 से 500 करोड़ और उससे अधिक की परियोजनाओं की मासिक आधार पर समीक्षा आरंभ की।

ड.) परियोजना निगरानी समूह नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। कोयला मंत्रालय विशेष रूप से वानिकी मंजूरी और भूमि के भौतिक कब्जे की सुविधा के लिए अपनी ओर से अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का अनुसरण करता है।

प्रभावी निगरानी और त्वरित तथा सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, पिछले साल सीआईएल द्वारा एमडीएमएस पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो परियोजनाओं/ खानों के हर विवरण को सम्मिलित करता है, प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और प्रासंगिक रिपोर्ट तैयार करता है।

इसके अलावाए प्रोजेक्ट सर्वर पर अपलोड किए गए मास्टर कंट्रोल नेटवर्क के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा रही है। बेहतर निगरानी के लिए इन एमसीएन पर आधारित रिपोर्ट पावर बीआई सॉफ्टवेयर पर विकसित डैशबोर्ड के माध्यम से तैयार की जा रही है।

बढ़ती कोयले की मांग को पूरा करने के लिए, सीआईएल ने पहले ही नई परियोजनाएं और ओसी पैच शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा, मौजूदा खानों/परियोजनाओं का क्षमता विस्तार ईसी विस्तार के माध्यम से या जहां भी संभव हो, ईपीआर के माध्यम से किया जा रहा है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

आज की तारीख के अनुसार, 14 चालू कोयला परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत 20 करोड़ रु. और उससे ऊपर हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य स्तर पर और केंद्रीय मंत्रालय के साथ लंबित मुद्दों को हल करने के लिए चालू परियोजनाओं के विभिन्न माइलस्टोन की स्थिति की निगरानी के लिए एमडीएमएस पोर्टल (सीएमपीडीआई द्वारा विकसित) और ई–सीपीएमपी (ऑनलाइन कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल (और ओसीएमएस पोर्टल (एमओएसपीआई) में अपलोड की जा रही है।

4. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

2021–22 के दौरान, सीआईएल ने परियोजनाओं के जारी समूह से 398.73 मि.ट. उत्पादन करने की परिकल्पना की है। वित्त वर्ष 19.20 के अंत के दौरान कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण और वैश्विक स्तर पर और साथ ही देश में गंभीर आर्थिक मंदी के कारण, देश में विकास ट्रेजेक्ट्री में तेजी से गिरावट आई और देश में कोयले की मांग में कमी देखी गई। इसके अलावा, लगभग 100 मि.ट. का विशाल पिटहेड स्टॉक 2020–21 के अंत में सीआईएल में जमा हो गया था, जिसमें इन्वेंट्री बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए, पिटहेड स्टॉक को समाप्त करने और उत्पादन में काफी वृद्धि किए बिना मांग को पूरा करने के लिए और मांग में किसी भी अनुमानित कमी के लिए, उत्पादन योजना को अपरिवर्तित रखते हुए उत्पादन योजना को फिर से तैयार किया गया था। तदनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की उत्पादन योजना को 740 मि.ट. (पहले 1 बि.ट. योजना के अनुसार) से 740 मि.ट. की आपूर्ति योजना को बरकरार रखते हुए 670 मि.ट. पर रखा गया था।

सीआईएल के संबंध में, 121 खनन परियोजनाओं (ग्रीनफील्ड और विस्तार परियोजनाओं) से उत्पादन में बड़ी वृद्धि की परिकल्पना की गई है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और मुख्य रूप से तीन सहायक कंपनियों अर्थात् एसईसीएल, एमसीएल और सीसीएल (30.11.2021 को) से जिनकी संयुक्त रेटेड क्षमता लगभग 905 मि.ट. है।

सीआईएल ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- जहां भी संभव हो, अत्याधुनिक मशीनीकरण का उपयोग करके उच्च क्षमता वाली खानों की योजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- भू–खनन स्थितियों के आधार पर भूमिगत और खुली खानों दोनों में श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- अनुसूची के अनुसार लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।

- ईपी अधिनियम 2006 के तहत विशेष व्यवस्था के माध्यम से चल रही परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि।
- संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की प्रभावी निगरानी और अनुनय।
- भविष्य में उत्पादन और निकासी में नियोजित वृद्धि को बनाए रखने के लिए, सीआईएल ने एसईसीएल, एमसीएल और सीसीएल के कोयला क्षेत्रों में विकास के लिए भारतीय रेलवे के साथ जमा आधार (3) और जेवी (4) के माध्यम से 7 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की हैं।
- कोयला मंत्रालय से प्रभावी और लगातार समर्थन।
- उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों को अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों का आवंटन।
- लगभग 170 मि.ट. की क्षमता वाली 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की पहचान की गई है जिन्हें सह प्रचालक पद्धति द्वारा प्रचालित किया जाएगा।
- दो चरणों में 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इनमें से प्रथम चरण में 35 परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2023–24 तक 414.5 मि.ट. क्षमता के साथ कार्यान्वित किया जाना है ।
- सीआईएल ने दो चरणों में संचालन के डिजिटलीकरण और ईआरपी की शुरूआत के साथ अपनी खानों की दक्षता बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार के लिए पहल की है।

एससीसीएल ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

एससीसीएल ने 2023–24 के अंत तक उत्पादन को 80 मि. ट. तक बढ़ाने की परिकल्पना की है। उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

- 11 नई खानें खोलने की योजना (जीवीसीएफ में 10 और तलचर में 1)।
- कोयला निकासी अवसंरचना सुविधा में सुधार: एससीसीएल अपने सीएचपी को संशोधित कर रहा है, नए सीएचपी, क्रशर का निर्माण कर रहा है।
- कोयले की निकासी के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण और नई रेलवे लाइनें बिछाना।
- कोयले के प्रेषण स्थल तक कम दूरी के परिवहन के लिए सड़कों का विकास।

एनएलसी इंडिया ने चालू वर्ष 2021–22 के दौरान 4 एमटीपीए के अपने मूल कार्यक्रम से तालाबीरा II और III ओसीपी से 6 एमटीपीए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। कोयले की उच्च मांग को ध्यान में रखते हुएए एनएलसी इंडिया लिमिटेड तालाबीरा खान के कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उपरोक्त प्रयास न केवल अंतिम उपयोग संयंत्रों को ईंधन सुरक्षा प्रदान करेंगे बल्कि बाजार में कोयला भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कोयले की पहुंच कीमत को कम करने के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के खच कोयले के हस्तांतरण की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं।

5. सीआईएल में प्रौद्योगिकी विकास और खानों का आधुनिकीकरण

भूमिगत खानों का मशीनीकरण:

आईआईटी–आईएसएम (धनबाद), एससीसीएल और पीडब्ल्यूसी का एक संघ जो सीआईएल की 90 भूमिगत खानों में 'भूमिगत कोयला खनन–समस्याओं, क्षमता, प्रौद्योगिकी) आधुनिकीकरण, उत्पादन और सुरक्षा के अध्ययन' के लिए लगा हुआ था, ने भूमिगत कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएसएलडब्ल्यू और सतत खनिक जैसी बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक के उपयोग की सिफारिश की।

उपर्युक्त रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा के अनुसार पीआर तैयार करने और अनुमोदन का कार्य शुरू हो गया है। वर्तमान में, लगभग 7.46 मि.ट. की कुल क्षमता के साथ सीआईएल की 13 यूजी खानों में 17 कंटीन्यूअस माइनर्स (सीएम) तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, सीआईएल ने 2025–26 तक लगभग 17.86 मि.ट. की कुल क्षमता वाले 41 अन्य सीएम को चालू करने की योजना की परिकल्पना की है।

इसके अलावा, खान श्रमिकों के अनुत्पादक यात्रा समय को कम करने के उद्देश्य से कई भूमिगत खानों में मैन–राइडिंग सिस्टम शुरू किया गया है। वर्तमान में, सीआईएल खानों में 42 मैन–राइडिंग सिस्टम प्रचालन में हैं। सीआईएल की भूमिगत खानों के लिए अन्य 63 मैन राइडिंग योजनाएं तैयार की गई हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के साथ प्रस्तावित कुछ भूमिगत खानों के लिए, श्रमिकों और सामग्री के लिए ट्रैकलेस परिवहन प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। ईसीएल की झंझरा भूमिगत खान में इस समय तीन फ्री–स्टीयर वाहन चल रहे हैं।

हाईवॉल माइनर्स के दो सेट एसईसीएल के संचालन में हैं जिनकी कुल क्षमता 1 एमटीवाई है। सीआईएल ने ईसीएल में लगभग 1.5 मिलियन टन की कुल क्षमता वाले 3 अन्य हाईवॉल खनिकों को चालू करने के लिए भविष्य की योजना तैयार की है।

ओपन कास्ट खानों का मशीनीकरण:

- सीआईएल ने कार्य क्षमता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीक शुरु की है। गेवरा एक्सपेंशन, दीपका और कुसमुंडा ओपन कास्ट खानों में 240 टन रियर डम्पर के साथ 42 सह–शॉवेल जैसे उच्च क्षमता वाले एचईएमएम शुरु किए गए हैं।
- परिचालन दक्षता, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ओपनकास्ट खानों में सर्फेस माइनर्स को बड़े पैमाने पर शुरु किया गया है। 2020–21 के दौरान सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 47% सर्फेस माइनर्स का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।
- वाहनों की आवाजाही की वास्तविक समय निगरानी को सक्षम करने के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग, बूम बैरियर के साथ आरएफआईडी प्रणाली आधारित निगरानी उपकरण आरंभ किए गए हैं जो चोरी आदि के खिलाफ सुधारात्मक उपायों की सुविधा प्रदान करते हैं।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से खान की समग्र दक्षता और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, सीआईएल ने सात (07) चयनित ओपनकास्ट खानों (एसईसीएल के 3 और एनसीएल के 3) में 'डिजिटल परिवर्तन' के लिए पहल की है।
- इसके अलावाए सीआईएल अपने मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और अन्य आईटी–सक्षम प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो सीआईएल की परिचालन दक्षता को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

उच्चतम स्तर की सटीकता के लिए, सर्वेक्षण और माप कार्य के लिए टोटल स्टेशन और 3डी टीएलएस सर्वेक्षण उपकरण पहले ही शुरु किए जा चुके हैं।

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/रद्द की गई कोयला खानों का आवंटन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई 204 कोयला खानों का आवंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 107 कोयला खानों का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया है। इन 107 कोयला खानों में से 47 ई–नीलामी के माध्यम से (45 निजी कंपनियों को और 2 सरकारी कंपनी को) आवंटित की गई हैं और 60 सरकारी कंपनियों को आवंटित की गई हैं।

इन 107 कोयला खानों का क्षेत्रवार आवंटन इस प्रकार है: 48 कोयला खानें विनियमित क्षेत्र को यानी विद्युत, 22 कोयला खानें गैर–विनियमित क्षेत्र को यानी लोहा और इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव पावर के साथ–साथ कोयले की बिक्री के लिए 37 कोयला खानें। 107 आवंटित कोयला खानों का पाई आरेख नीचे है:

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित 107 कोयला खानों का क्षेत्रवार आवंटन

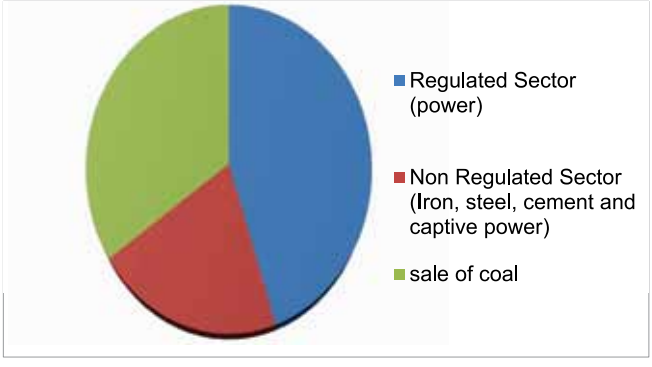

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2021 के दौरान कोयले की बिक्री के लिए 5 कोयला खानों की नीलामी की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोयले की बिक्री हेतु कोयला खानों की नीलामी समय–समय पर करने के निर्देश जारी किये गये हैं। हाल ही में 24 कोयला खानों की नीलामी करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी नीलामी प्रक्रिया चल रही है।

राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयला/लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यप्रणाली के पैरा 2 .1.4 (ख) और कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि दिनांक 28.05.2020 को दिनांक 24.11.2021 के आदेश के तहत नीलामी के चल रहे और जारी चरणों के लिए निम्नानुसार संशोधित किया गया है: .

कोयले का गैसीकरण या द्रवीकरण

यदि सफल बोलीदाता कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए अथवा अपने संयंत्र (संयंत्रों) या अपनी धारित, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी के संयंत्र में उत्पादित कोयले का उपभोग करता है, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए कोयले को बेचता है, तो उस पर सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत 50% की छूट राजस्व हिस्सेदारी का प्रतिशत वार्षिक आधार पर गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए खपत या बेचे गए कोयले की कुल मात्रा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा:

i. उस वर्ष के लिए अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अनुसूचित कोयला उत्पादन का कम से कम 10% खपत या गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए बेचा जाएगा;

ii. कोयले की खपत या बिक्री या गैसीकरण या द्रवीकरण दोनों के लिए कोयले की मात्रा के लिए कोयला नियंत्रक का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

7. एमएमडीआर अधिनियम के तहत कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों का आवंटन

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, 11 कोयला ब्लॉक पहले ही सरकारी कंपनियों (केंद्र/राज्य) को आवंटित किए जा चुके थे। इनमें से 9 कोयला ब्लॉक अंत्य उपयोग विद्युत के लिए और 2 कोयला ब्लॉक वाणिज्यिक खनन/कोयले की बिक्री के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत 2 लिग्नाइट ब्लॉक आवंटित किए गए हैं [1 अंत्य उपयोग विद्युत के लिए और 1 वाणिज्यिक खनन / लिग्नाइट की बिक्री के लिए]।

इसके अलावा, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय को कोयले की बिक्री के लिए नीलामी द्वारा 89 कोयला ब्लॉकों का आवंटन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें से अब तक 7 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीतिगत सुधार:

(i) कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 को खनिज कानूनों द्वारा किए गए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के आलोक में (संशोधन) अधिनियम, 2020 कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 18.05.2020 से संशोधित किया गया था। अब से, सफल आवंटनकर्ता राज्य सरकार से संबंधित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस–सह–खनन पट्टा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के बिना अनुदान के लिए हकदार है। कोयला या लिग्नाइट के संबंध में परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा, जहां सरकार द्वारा आवंटन आदेश या क्षेत्र के आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी।

(ii) विभिन्न अनुपालनों की प्रासंगिकता और आवश्यकता की जांच करने के साथ–साथ समानांतर अनुपालन, कोयला खान (संरक्षण और विकास) को दूर करके व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने, कम करने और सरल बनाने के उद्देश्य से कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 अधिनियम, 1974 (सीएमसीडी) और सीएमसीडी नियम, 1975 को एक अधिनियम को अनुपालन बोझ से कम करते हुए निरस्त कर दिया गया है और कोलियरी कंट्रोल नियम, 2004 को कोलियरी कंट्रोल (संशोधन)

नियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र में जीएसआर 546 (ई) दिनांक 09.08. 2021 के तहत अधिसूचित और प्रकाशित किया गया है।

(iii) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 में संशोधन किए। उक्त संशोधनों ने खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1960 में संशोधन की आवश्यकता थी। इसलिए, एमसीआर, 1960 खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से उचित रूप से संशोधित किया गया है, जिसे दिनांक 01.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 717 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

एमसीआर, 1960 में नियम 24ग को शामिल करने के साथ, कोयले या लिग्नाइट के लिए खनन पट्टा अब एक सरकारी कंपनी या निगम को 50 साल के लिए दिया जाता है। 01.10.2021 के एमसीआर सुधारों से पहले दी गई खनन लीज को 50 साल या 31 मार्च, 2030 तक, जो भी बाद में हो, के लिए दिया गया माना जाएगा। राज्य सरकार को आवंटित खानों के लिए एक बार में 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे का विस्तार करने का अधिकार है।

एमसीआर, 1960 में नियम 27क को शामिल करने के साथ, कैप्टिव खान के पट्टेदार को खान से जुड़े अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट के इस प्रतिशत (50%) तक कोयला या लिग्नाइट बेचने की अनुमति है। यह प्रावधान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स सहित टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर प्रदान की गई विद्युत परियोजना पर लागू नहीं है।

केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कोयले या लिग्नाइट के उक्त प्रतिशत में वृद्धि कर सकती है जिसे सरकारी कंपनी या निगम द्वारा 50% से अधिक बेचा जा सकता है।

एमसीआर, 1960 के नियम 28 में उन पट्टों के रद्द होने का प्रावधान किया गया है जहां खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण शुरू नहीं हुआ है या उत्पादन या प्रेषण शुरू होने के बाद लगातार दो साल की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है। खनन पट्टा पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या जैसा भी मामला हो, उत्पादन और प्रेषण के बंद होने पर समाप्त हो जाएगा।

नियम 64ख में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खनन क्षेत्र के भीतर या बाहर इसके प्रसंस्करण की परवाह किए बिना रन ऑफ–माइन कोयले या लिग्नाइट पर रॉयल्टी वसूल की जाएगी।

8. गुणवत्ता और तृतीय पक्ष द्वारा नमूनाकरण–हाल के निर्णय

कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (पावर यूटिलिटीज) की चिंताओं को दूर करने के लिए, थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई थी। लोडिंग के समय कोयले की जांच और परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता (कोयला कंपनियों), क्रेता (पावर यूटिलिटीज) और सीआईएमएफआर के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। सैंपलिंग और कोयला परीक्षण शुल्क खरीदार और विक्रेता द्वारा समान रूप से वहन किए जाते हैं।

लिंकेज नीलामी के माध्यम से कोयला लेने वाले गैर–विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सैंपलिंग की सुविधा प्रदान करने और पावर के लिए विशेष फॉरवर्ड नीलामी के तहत पावर यूटिलिटीज को आपूर्ति करने के लिए, क्यूसीआई और आईआईटी–आईएसएम को लगाया गया है। क्यूसीआई और आईएसएम दोनों ने सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों और उपभोक्ताओं के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तीसरे पक्ष का सैंपल लेना शुरू कर दिया है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला कंपनियों को निम्नलिखित शेष श्रेणियों के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग के कवरेज के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

i. गैर–विद्युत एफएसए

ii. एसएनए को आपूर्तित कोयला

iii. स्पॉट ई–नीलामी

iv. विशेष स्पॉट नीलामी

v. विशेष ई–नीलामी

अब, सभी ई–नीलामी योजनाओं और एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता सत्यापन उपलब्ध है। यह निदेश दिया गया है कि पावर यूटिलिटी और कोयला कंपनी को पिछले महीने से पहले के महीने के दौरान कोयले की आपूर्ति के लिए सभी व्यवस्थित परिणामों के लिए हर महीने की 5 तारीख (या छुट्टी के मामले में बाद के दिन) तक ग्रेड समाधान करना चाहिए। नामित रेफरी प्रयोगशालाओं द्वारा कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ग्रेड स्लिपेज को नियंत्रित करने और रेफरी नमूनों के परिणाम घोषित करने के लिए 15 दिन की समय सीमा के संबंध में भी निदेश जारी किए गए हैं।

यूटीटीएएम (अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइन्ड कोल) नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से सभी उपभोक्ता/हितधारकों के साथ–साथ कोयला कंपनियां घोषित ग्रेड, थर्ड पार्टी सैंपल विश्लेषण परिणामों और रेफरी विश्लेषण परिणामों तक पहुंच सकती हैं।

एक सुधार प्रक्रिया के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए टीपीएस (थर्ड पार्टी सैंपलिंग) एजेंसियों को पीएफसी द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएफसी अब सीआईएमएफआर के अलावा एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा और परामर्शदाता किसी भी पैनल में शामिल एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। पीएफसी द्वारा हाल ही में नवंबर 2021 में निविदा जारी की गई थी।

कोल इंडिया लिमिटेड ने क्रमशः 590 मि.ट., 193 मि.ट., 1.00 मि.ट. और 1.00 मि.ट. के सैंपल लेने के लिए सीआईएमएफआर, क्यूसीआई, एसजीएस और सीओटीईसीएनए को काम सौंपा है, और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने सीआईएमएफआर और आईआईसीटी को विद्युत क्षेत्र के लिए क्रमशः 50.73 मि.ट. और गैर–विद्युत क्षेत्र के लिए 0.28 मि.ट. का सैंपल लेने का काम सौंपा है।

9. कोयला लिंकेज का युक्तिकरणः

कोयला मंत्रालय ने 2015 में राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विद्युत संयंत्रों के लिए लिंकेज युक्तिकरण के लिए नीति जारी की है। विद्युत क्षेत्र (राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए) में कोयला लिंकेज युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खानों से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी आई है जिससे अधिक कुशल कोयला आधारित विद्युत उत्पादन हुआ। कोयला मंत्रालय ने 2018 में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए लिंकेज युक्तिकरण के लिए नीति जारी की है।

अब तक 6115.82 करोड़ रुपये की वार्षिक संभावित बचत के साथ 85.364 मि.ट. कोयले को युक्तिसंगत बनाया गया है।

2020 में लिंकेज युक्तिकरण पर एक नई पद्धति तैयार की गई है जिसमें विद्युत के साथ–साथ गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) शामिल हैं और आयातित कोयले के साथ कोयले की अदला–बदली की भी अनुमति दी गई है।

10. पुराने संयंत्रों को स्क्रैप करते समय और उन्हें नए संयंत्रों के साथ बदलने के दौरान कोल लिंकेज/एलओए का स्वतः हस्तांतरण।

27.06.2014 को आयोजित एसएलसी (एलटी) बैठक में पुरानी इकाइयों को नए संयंत्रों के साथ बदलने के मामले में लिंकेज के हस्तांतरण पर नीति के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया था, जिसमें समिति ने सिफारिश की थी कि एमओपी की सिफारिश के आधार पर नए संयंत्र 13वीं योजना के अंत तक स्टैगर्ड तरीके से सामने आएंगे और 14वीं योजना तक भी जा सकते हैं, समिति ने पुराने संयंत्रों को खत्म करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लियाः

(i) पुराने संयंत्र को दिया गया एलओए/लिंकेज निकटतम सुपर क्रिटिकल क्षमता वाले नए संयंत्र में स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएगा'

(ii) यदि नए सुपर क्रिटिकल संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र की तुलना में अधिक है, तो अतिरिक्त कोयले को प्राथमिकता दी जा सकती है बशर्ते कि सीआईएल से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कोयले की उपलब्धता हो।

(iii) नए सुपर क्रिटिकल प्लांट की कम से कम 50% क्षमता को समाप्त करना होगा। प्रस्तावित सुपर क्रिटिकल क्षमता के 50% के इस न्यूनतम बेंचमार्क को प्राप्त करने के लिए पुराने संयंत्रों को एक साथ जोड़ा जा सकता है।

(iv) यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्व–एनसीडीपी संयंत्रों पर लागू होगी, जिन्हें पहले ही दीर्घकालिक लिंकेज/एलओए प्रदान किए जा चुके हैं

(v) जैसा कि ऊपर बताया गया है, एलओए के स्वतः हस्तांतरण की अनुमति तभी होगी जब नया संयंत्र उस राज्य के भीतर स्थापित किया गया हो जिसमें पुराना संयंत्र स्थित है और पुराने संयंत्र को वास्तव में रद्द कर दिया गया है। पुराना प्लांट नए प्लांट के सीओडी तक काम करता रहेगा।

तथापि, बाद में, बिंदु संख्या (v) में इस आशय का संशोधन किया गया था कि केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, लिंकेज/एलओए को स्क्रैप से एक नई इकाई में स्वचालित हस्तांतरण की अनुमति उस राज्य के बाहर दी जाएगी जिसमें पुरानी इकाई स्थित है।

11. गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी

कोयला मंत्रालय द्वारा गैर–विनियमित क्षेत्र को कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए दिनांक 15.02.2016 को जारी नीति दिशानिर्देशों के बाद, सीआईएल स्पंज आयरन, सीपीपी, अन्य (नॉन कोकिंग), अन्य (कोकिंग) और स्टील (कोकिंग) उपक्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए लिंकेज नीलामी आयोजित कर रहा है।

सीआईएल ने अब तक लिंकेज नीलामी के चार दौरों को पूरा कर लिया है और पांचवां दौर चल रहा है, जहां सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रति वर्ष कुल 119.77 मि.ट. लिंकेज बुक किए गए हैं।

शक्ति के तहत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए) – ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पद्धति को खत्म करने की मंजूरी दी और भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) के दोहन और आवंटन के लिए योजना (शक्ति), 2017 की शुरुआत की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को जारी किया गया था। सरकार ने शक्ति नीति, 2017 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 25.03.2019 को जारी किया गया था। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसा कि इसके विभिन्न पैराओं के तहत विस्तृत है) इस प्रकार हैं:

पैरा क: एफएसए पर लंबित एलओए धारकों के साथ यह सुनिश्चित करने के बाद हस्ताक्षर किए जा सकते हैं कि संयंत्र चालू हो गए हैं, संबंधित उपलब्धि प्राप्त हुई है, एलओए की सभी निर्दिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया गया है और जहां एलओए धारक के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया जाता है। इसके अलावा, इसने मौजूदा कोयले की आपूर्ति को वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 75% की दर से लगभग 68,000 मेगावाट की क्षमता तक जारी रखने की अनुमति दी है, जिसे भविष्य में कोयले की उपलब्धता के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। नीति ने एफएसए के मुकाबले लगभग 19,000 मेगावाट क्षमता के लिए एसीक्यू के 75% पर कोयले की आपूर्ति को सक्षम किया है, जिसे चालू करने में देरी हुई है, बशर्ते ये संयंत्र 31.03.2022 के भीतर चालू हो जाएं। डिस्कॉम्स द्वारा आमंत्रित बोलियों के लिए भविष्य में संपन्न होने वाले मध्यम अवधि के विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) को भी लिंकेज कोयला आपूर्ति के लिए योग्य बनाया गया है।

पैरा ख (i): कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केंद्रीय जेनको/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती है।

पैरा ख (ii): घरेलू कोयले पर आधारित दीर्घकालिक पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से लिंकेज, जहां नीलामी में भाग लेने वाले आईपीपी टैरिफ पर छूट के लिए बोली लगाएंगे (पैसे/यूनिट में)। जो बोलीदाता किसी भी कारण से ख(ii) के तहत लिंकेज नीलामी में भाग नहीं ले सके, उन्हें इस नीति की ख(ii) नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, जो बोलीदाता पूर्ण एसीक्यू के लिए लिंकेज सुरक्षित नहीं कर सके, वे बेंचमार्किंग छूट के बाद ख(ii) के तहत बाद के चरण में भविष्य की नीलामी में भाग लेकर शेष राशि के लिए लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

पैरा ख (iii): पीपीए के बिना आईपीपी/विद्युत उत्पादकों से लिंकेज नीलामी के आधार पर होगा।

पैरा ख (iv): राज्यों को विवरण के साथ कोल लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व–घोषणा करके नए पीपीए के लिए कोल लिंकेज भी निर्धारित किए जा सकते हैं। राज्य इन लिंकेज को डिस्कॉम्स/राज्य द्वारा नामित एजेंसियों (एसडीए) को इंगित

कर सकते हैं।

पैरा ख (v): राज्यों के समूह की विद्युत की आवश्यकता को भी एकत्र किया जा सकता है और इस तरह की एकत्रित विद्युत की खरीद एक एजेंसी द्वारा की जा सकती है, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है या ऐसे राज्यों द्वारा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर अधिकृत किया गया है।

पैरा ख (vi): केंद्र सरकार की पहल के तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) स्थापित करने के लिए नामित एजेंसी द्वारा निगमित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पूर्ण मानक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किया जाएगा।

पैरा ख (vii): कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के परामर्श से, उपभोक्ताओं को लागत बचत के पूर्ण पास के साथ आयातित कोयले के आधार पर, पीपीए वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया की विस्तृत पद्धति तैयार कर सकता है।

पैरा ख (viii):

(क) बिना पीपीए वाले विद्युत संयंत्रों को डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से पावर एक्सचेंज के माध्यम से या अल्पावधि में डे अहेड मार्केट (डीएएम) में लिंकेज के माध्यम से उत्पन्न विद्युत की बिक्री के लिए ख(iii) और ख(iv) के तहत न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए अधिकतम 1 वर्ष तक कोयला लिंकेज की अनुमति है।

(ख) डीईईपी पोर्टल या जनरेटर द्वारा पावर एक्सचेंज का उपयोग करके शॉर्ट टर्म पीपीए के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग, जो डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक के मामले में पीपीए को समाप्त करता है, अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए या जब तक वे लंबी/मध्यम अवधि के पीपीए के तहत विद्युत का दूसरा खरीदार खोजें, जो भी पहले हो।

(ग) ख (v) के तहत कोयला लिंकेज उन मामलों में भी लागू होता है, जहां विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित नोडल एजेंसी ऐसे राज्यों से मांग के बिना भी राज्यों के समूह के लिए विद्युत की आवश्यकता को एकत्रित/खरीदती है।

(घ) केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियां संकटग्रस्त विद्युत संपत्तियों की शक्ति के एक समूह के रूप में कार्य कर सकती हैं।

ड.) ऋण का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तंत्र।

अब तक, नीति के विभिन्न पैराओं के तहत निम्नलिखित क्षमताओं को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है (01.12.21 तक):

(i) शक्ति नीति के पैरा क (i) के प्रावधानों के तहत 7,21,0 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 एलओए धारकों को ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है।

(ii) शक्ति नीति के पैरा ख (i) के प्रावधानों के तहत 23 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को कुल 25340 मेगावाट क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

(iii) शक्ति नीति के ख (ii) के तहत लिंकेज नीलामी का पहला दौर सितंबर, 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 9,045 मेगावाट क्षमता के लिए दस सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.18 मि.ट. प्रति वर्ष (एमटीपीए) वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया गया था। मई, 2019 में आयोजित दूसरे दौर में, लगभग 874.9 मेगावाट क्षमता के लिए आठ बोलीदाताओं द्वारा 2.97 एमटीपीए लिंकेज की मात्रा बुक की गई है। तीसरे दौर में, मई, 2020 के दौरान पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा नीलामी आयोजित की गई है, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं। पीएफसीसीएल द्वारा सितंबर, 2021 में चौथे दौर की लिंकेज नीलामी आयोजित की गई है, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 3.20 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं।

(iv) फरवरी, 2020 में शक्ति ख (iii) के लिए लिंकेज नीलामी आयोजित की गई थी, जहां कुल 11.8 एमटीपीए की पेशकश में से 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.48 एमटीपीए बुक की गई थी।

(v) शक्ति नीति के ख (iv) के तहत लिंकेज के लिए सीआईएल से गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए क्रमशः 4000 मेगावाट, 1600 मेगावाट और 2640 मेगावाट की क्षमता के लिए कोल लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vi) शक्ति नीति के ख (v) के तहत लिंकेज के लिए 2500 मेगावाट की क्षमता के लिए सीआईएल से कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vii) शक्ति नीति के ख (viii)(क) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिंकेज नीलामी के 7 दौरों का आयोजन किया गया है। कुल 37.52 मि.ट. कोयले की पेशकश की गई, सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.66 मि.ट. की बुकिंग की गई है।

12. ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (दोनों विद्युत के साथ–साथ गैर–विद्युत क्षेत्र में, जिन्हें कोयला खानें/ब्लॉक आवंटित किए गए हैं) के निर्दिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश सभी संबंधितों को परिचालित किए गए हैं। ब्रिज लिंकेज केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के एक निर्दिष्ट अंतिम उपयोग संयंत्र के कोयले की आवश्यकता और एमएमडीआर अधिनियम के तहत आवंटित अनुसूची–II कोयला खानों और कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन की शुरुआत के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए एक अल्पकालिक लिंकेज के रूप में कार्य करेगा। अब, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 37 ताप विद्युत संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्रदान किया गया है।

13. कोयले की धुलाई पर जोर

इस्पात क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए देश में कोकिंग कोल के संवर्धन की तत्काल आवश्यकता है। देश में धातुकर्म कोयले के संसाधनों की दुर्लभ उपलब्धता के कारण, इस्पात क्षेत्र की मांग को अच्छी गुणवत्ता के आयातित कोकिंग कोयले के मिश्रण अनुपात को अधिकतम करने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से आंशिक रूप से उच्च राख कोकिंग कोयले को अलग–अलग लक्ष्य राख पर धोने से पूरा किया किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप देश के आयात में कमी आती है। इस संबंध में, सीएमपीडीआई और बीसीसीएल, धनबाद के सहयोग से आईआईटी–आईएसएमए धनबाद द्वारा एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना नामतः 'भारतीय कोकिंग और गैर–कोकिंग कोयले की बेहतर धुलाई दक्षता के लिए लागत प्रभावी प्रक्रिया फ्लो शीट का डिजाइन' लागू किया जा रहा है। इस अध्ययन के तहत, कम राख उत्पाद के उत्पादन के लिए उच्च राख भारतीय कोयले का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त लाभकारी रणनीति विकसित की जाएगी जिसका उपयोग धातुकर्म और थर्मल उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

धुले हुए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सीआईएल ने मौजूदा वॉशरीज़ के नवीनीकरण के अलावा नई वॉशरीज़ की योजना बनाई है जो पहले से ही प्रचालन में हैं। वर्तमान में, सीआईएल के पास 12 कोयला वॉशरीज़ हैं, जिनमें से 10 कोकिंग कोल (2 हाल ही में कमीशन की गई कोकिंग कोल वाशरीज़ सहित) और 2 नॉन–कोकिंग कोल वाशरीज़ हैं, जिनकी कुल क्षमता क्रमशः 23.63 मि.ट. और 11 मि.ट. है। अधिकांश मौजूदा वॉशरीज बहुत पुरानी हैं और अपने डिजाइन किए गए जीवन को पूरा कर चुकी हैं जिससे उनकी दक्षता कम हो गई है। मौजूदा वॉशरीज की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, सीआईएल ने रेनोवेट–ऑपरेट–मेंटेन (आरओएम) मॉडल पर पुरानी बीसीसीएल कोकिंग कोल वॉशरीज के व्यापक रख–रखाव और नवीनीकरण की योजना बनाई है।

कोयले की धुलाई को और बढ़ावा देने के लिए, सीआईएल में 13 नई आगामी वॉशरीज परियोजनाएं हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 13 वाशरीज़ में से 12 कोकिंग कोल और 1 नॉन–कोकिंग कोल वॉशरी हैं। 4 वॉशरी निर्माणाधीन हैं, 2 वॉशरी वैधानिक मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं, 2 निविदा चरण में हैं और 3 वॉशरी वैचारिक चरणों में हैं।

14. आग, धंसाव और पुनर्वास क्षेत्रों का समाधान करने के लिए मास्टर प्लान

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12.08.2009 को आग, धंसाव और संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों के पुनर्वास के दायरे के साथ मास्टर प्लान को अनुमोदित किया गया था। झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) में कार्यान्वयन की समय सीमा 12 वर्ष है जिसमें पूर्व–कार्यान्वयन गतिविधियों के 2 वर्ष शामिल हैं और अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार इसे 10 वर्षों के लिए रानीगंज

कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए माना गया था। जेसीएफ के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि 11.08.2021 को समाप्त हो गई है और आरसीएफ के लिए 11.08.2019 को समाप्त हो गई है।

19वीं एचपीसीसी बैठक के निदेश के अनुसार, ईसीएल द्वारा सीएमपीडीआई आरआई-II और जेआरडीए के परामर्श से सीएमपीडीआई, आरआई-1 और एडीडीए और बीसीसीएल के परामर्श से वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है।

दोनों व्यापक प्रस्ताव पर 21वीं एचपीसीसी बैठक में चर्चा हुई है। एचपीसीसी की 21वीं बैठक के निदेश के अनुसार, क्रमशः झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में दोनों प्रस्तावों के संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लीजहोल्ड में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति

आग से निपटना: झरिया कोलफील्ड में सतही कोयले की आग के चित्रण के लिए बीसीसीएल द्वारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से कोयला खान अग्नि सर्वेक्षण / अध्ययन की स्थापना की गई थी। 2017 की अपनी रिपोर्ट के अनुसार कुल 34 सक्रिय अग्नि स्थल थे। बीसीसीएल ने इन स्थलों में आग से निपटने के लिए कार्रवाई की है। एनआरएससी ने 2020–21 में आग का सर्वेक्षण किया है और 27 अग्नि स्थलों की उपस्थिति की सूचना दी है। इन स्थलों में आग से निपटने के लिए बीसीसीएल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में, 15 अग्नि स्थलों का कार्य आवंटित किया गया है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं (अग्नि कोयले को खोदने के लिए) और कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है।

शेष 12 अग्नि स्थल आर्थिक रूप से अव्यवहारिक पाए गए हैं (अग्नि कोयले की खुदाई के लिए)। एनआरएससी द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में, 10 अग्नि स्थलों ने घटती प्रवृत्ति को दिखाया है/आग का सीमांत संकेत सतही कंबलिंग की विधि द्वारा निपटाया जा रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग से आर्थिक रूप से अव्यवहार्य शेष 2 स्थलों पर आग बुझाने की योजना बनाई जा रही है।

झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा और आगे का रास्ता सुझाने के लिए पीएमओ के मार्गदर्शन में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

पुनर्वास: मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थलों में कुल 54,159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था। 2020 में जेआरडीए ने 595 स्थलों का सर्वेक्षण पूरा किया।

बेलघोरिया पुनर्वास टाउनशिप 'झरिया विहार' में 6,352 आवास गृहों का निर्माण किया गया है, जिसमें 2,670 गैर–एलटीएच परिवारों (अतिक्रमणकारियों) को प्रभावित क्षेत्रों से स्थानांतरित किया गया है।

आग प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए, बीसीसीएल द्वारा गैर–कोयला वाले क्षेत्रों में 7,714 घर बनाए गए हैं और 4,182 परिवारों को आग और अवतल स्थानों से इन घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे बीसीसीएल द्वारा 8,138 इकाइयों का निर्माण पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

बीसीसीएल बोर्ड ने गैर–बीसीसीएल परिवारों के लिए जेआरडीए को 8,000 घर सौंपने का निर्णय लिया है और इसके बारे में जेआरडीए को अवगत करा दिया गया है।

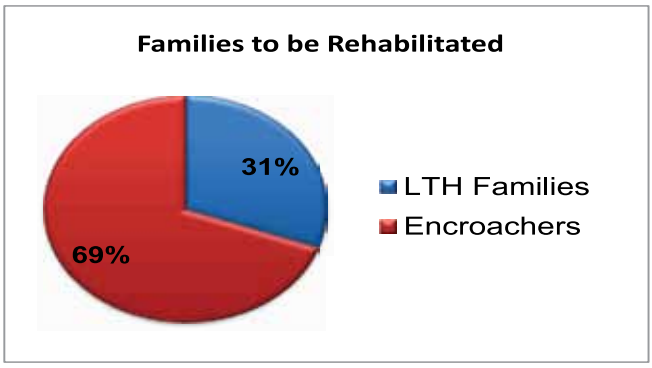

गैर–बीसीसीएल के लिए 23847 घरों में से अतिक्रमणकारियों (गैर–एलटीएच) हेतु, जेआरडीए द्वारा 18352 घरों का निर्माण आरंभ किया गया था। 6352 घर पूरे हो चुके हैं और 12000 घर निर्माणाधीन हैं और अगस्त, 2022 तक पूरे हो जाएंगे। परिवारों के स्थानांतरण के मामले में अब तक 4926 घरों को आवंटित किया गया है, 2676 परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

मास्टर प्लान का कार्यकाल पूरा होने के कारण, चालू गतिविधियों को जारी रखने के लिए, मास्टर प्लान के समय

विस्तार के प्रस्ताव की जांच की गई और कोयला मंत्रालय ने "प्रतिबद्ध कार्यों" के लिए एक वर्ष के लिए विस्तार दिया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिव के निदेश के अनुसार, निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 25 अगस्त, 2021 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

- झरिया मास्टर प्लान की प्रगति की जांच करना।
- झरिया कोलफील्ड में आग और अस्थिर क्षेत्रों की समस्या की समीक्षा और व्यापक मूल्यांकन करना और पुनर्वास के लिए आग और अस्थिर क्षेत्रों पर विचार करने का सुझाव देना।
- आग और सुरक्षा प्रबंधन योजना के लिए रणनीति तैयार करना।
- प्रभावित स्थानीय समुदायों की भागीदारी के लिए उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव देना।
- स्थानीय प्रभावित समुदाय के अनुकूल पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करना।
- झरिया कोलफील्ड्स में आग और अस्थिर क्षेत्रों में सतह के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन/स्थानांतरण के लिए दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देना।
- आग और अस्थिर क्षेत्रों के कारण प्रभावित कोकिंग कोल रिजर्व का आकलन करना और खनन के लिए रणनीति सुझाना।
- बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र का सुझाव देना।

समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हितधारकों के साथ बातचीत की। रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

15. भूमि सुधार के लिए उपग्रह निगरानी

सतत विकास के लिए खनन क्षेत्रों का पुनरुद्धार महत्वपूर्ण है। उचित सुधार पर जोर दिया जा रहा है जिसमें तकनीकी और जैविक सुधार के साथ–साथ खान को बंद करना शामिल है। भूमि सुधार के लिए उपग्रह निगरानी पर अपेक्षित जोर दिया जा रहा है ताकि भूमि सुधार की प्रगतिशील स्थिति का आकलन किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपायए यदि कोई हो, किए जा सकें।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

दो श्रेणियों में आने वाली खानों के लिए सैटेलाइट डाटा के आधार पर भूमि सुधार की निगरानी की जा रही है:

(क) प्रति वर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओ बी) एमसीएम से अधिक उत्पादन करने वाली खानें। प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से अधिक के अंतर्गत आने वाली खानों/ क्लस्टर की वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है

(ख) 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) एमसीएम प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाली खानें। 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष श्रेणी से कम के अंतर्गत आने वाली खानों/ क्लस्टरों की चरणबद्ध तरीके से तीन वर्षों के अंतराल पर निगरानी की जाती है।

वर्ष 2021–2022 में, कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत कुल 105 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी, जिसमें 76 ओपनकास्ट परियोजनाएं शामिल हैं, जो प्रति वर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) से अधिक उत्पादन करती हैं और 29 ओपनकास्ट परियोजनाएं / क्लस्टर / यूजी खानें जो प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) से कम उत्पादन करती हैं।), को निगरानी के लिए लिया गया है। सैटेलाइट डाटा का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट संकलित की जा रही है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

एमओईएफएंडसीसी द्वारा एससीसीएल की सभी 20 खुली खानों में प्रगतिशील सुधार गतिविधियों की उपग्रह निगरानी निर्धारित पर्यावरण मंजूरी शर्तों में से एक के अनुपालन में 3 साल में एक बार के अंतराल पर की जा रही है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

2021–22 में एनएलसीआईएल (खान–I, खान–I, खान–11, बीएलएमपी, तालाबीरा) की सभी 5 खुली खानों में प्रगतिशील सुधार गतिविधियों की उपग्रह निगरानी की गई है। सर्वेक्षण और मानचित्रण उद्देश्यों के लिए नेयवेली में एनएलसीआईएल खानों में से एक में ड्रोन के उपयोग के लिए परीक्षण शुरू किया गया

है। एक बार लागू होने के बाद, यह बहुत ही कम समय में सटीक और व्यापक डाटा विवरण साइट की स्थिति प्रदान करके खदान प्रबंधन की समग्र दक्षता में सुधार करेगा।

अन्य नई पहल

- **ड्रोन अनुप्रयोगः** सीआईएल में पहली बार सर्वेक्षण और मानचित्रण अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन शामिल किए गए हैं। सीएमपीडीआई ने ड्रोन खरीदे हैं जो एलआईडीएआर, ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर से लैस हैं। वर्तमान में इसका उपयोग भू–भाग मानचित्रण और आयतन मापन के लिए किया जा रहा है। सीसीएल, बीसीसीएल और एनसीएल में वॉल्यूमेट्रिक मापन किए गए हैं। खनन से संबंधित विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के तेजी से कार्यान्वयन के लिएए एनसीएल में उच्च–रिज़ॉल्यूशन मैपिंग, ब्लास्टिंग मॉनिटरिंग और निरीक्षण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन को आउटसोर्स मोड में तैनात किया गया था। कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसी तरह, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल और ईसीएल में ड्रोन की प्रभावकारिता की जांच के लिए विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए बाहरी एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है। सीएमपीडीआई अपने तीन क्षेत्रीय संस्थानों यानी नागपुर, बिलासपुर और सिंगरौली में आउटसोर्स मोड में ड्रोन आधारित फोटोग्रामेट्री बनाम 3डी टीएलएस द्वारा किए गए वॉल्यूमेट्रिक माप को मान्य करने की प्रक्रिया में है। कार्य सौंप दिया गया है। कोयला खनन अनुप्रयोगों में उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन का अनुप्रयोग उपयोगी साबित हो सकता है।

- **ईआरपीः** माननीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी ने सीआईएल की प्रथम चरण की सहायक कंपनियों के लिए ईआरपी के गो–लाइव का उद्घाटन किया। चरण–II के लिए ईआरपी को सीएमपीडीआई और अन्य सहायक कंपनियों के लिए अगस्त 2021 में गो–लाइव बनाया गया था। सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स एक्सेंचर ने ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई में कर्मियों को तैनात किया है।

- सीएमपीडीआई में **बिग डाटा मैनेजमेंट और इंटेलिजेंट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर** शामिल करने का इरादा है। इसमें विभिन्न अग्रिम विश्लेषणात्मक उपकरण हैं जैसे परीक्षण–विश्लेषण, पूर्वानुमान, रीयल–टाइम जांच आदि, जो कोयला उद्योग को उद्योग 4.0 की ओर आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।

- **क्वार्टर शिकायत प्रबंधन प्रणालीः** सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए एक एकीकृत पोर्टल (कॉलोनी शिकायत प्रबंधन प्रणाली) को कर्मचारियों द्वारा अपने लॉग इन या कॉल सेंटर के माध्यम से क्वार्टर और कार्यालय भवन की शिकायतों को दर्ज करने और हल करने के लिए विकसित किया गया है। शिकायतकर्ता और विभिन्न हितधारकों को शिकायत के लिए विभिन्न चरणों में एक सिस्टम जनरेटेड एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। स्थिति की निगरानी और डाटा विश्लेषण के लिए फीडबैक तंत्र और गतिशील रिपोर्टिंग जैसी विभिन्न विशेषताएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

- ओसीएमएस पोर्टल के साथ खान डाटा प्रबंधन प्रणाली (एमडीएमएस) के एकीकरण के लिए **एक डाटा इंटरफेस (एपीआई)** विकसित किया गया है।यह एपीआई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा उपयोग के लिए नियत है।

- **सीआईएल का कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और कार्बन तटस्थता के लिए रोडमैपः** रिपोर्ट में सीआईएल के कोयला खनन कार्यों और कोयला उत्पादन से जुड़े भविष्य के अनुमानों के लिए कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन तीव्रता का विश्लेषण शामिल था। रिपोर्ट में कार्बन तटस्थता और उत्सर्जन तीव्रता में कमी प्राप्त करने की दिशा में भविष्य का रोडमैप भी शामिल है। वर्ष 2019–20 के लिए भारत में कोयला क्षेत्र के लिए स्थिरता स्थिति रिपोर्टः इस रिपोर्ट में कोयला कंपनियों से चयनित 40 खानों की पर्यावरणीय स्थिरता की स्थिति को चार मापदंडों के तहत शामिल किया गया है – भूमि उपयोग, वायु गुणवत्ता, जल व्यवस्था और खान बंद करने के पहलू और उनका वर्गीकरण। रिपोर्ट में कोयला खनन परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के रोडमैप पर भी प्रकाश डाला गया है।

- **वर्ष 2019–20 के लिए "कोयला क्षेत्र में खान जल उपयोग" पर रिपोर्ट:** रिपोर्ट में चालू और परित्यक्त खानों में उपलब्ध खान के पानी की स्थिति और आंतरिक उद्देश्यों के लिए कोयला कंपनियों में पीने, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के साथ–साथ समुदायों और अन्य एजेंसियों को आपूर्ति शामिल है। रिपोर्ट में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा खान जल संसाधन के उपयोग के संबंध में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

- **2020–21 के लिए "कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों में हरित पहल" पर रिपोर्ट:** मसौदा रिपोर्ट में परियोजना क्षेत्रों के भीतर और बाहर कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भूमि क्षरण, सुधार और वृक्षारोपण की स्थिति पर आंकड़े शामिल हैं। सांख्यिकी में पूर्ण किए गए जैविक सुधार की स्थिति, प्रगति के तहत तकनीकी और जैविक सुधार, खानों में अन्य क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपण और निकट भविष्य में आगे वृक्षारोपण के लिए चिन्हित क्षेत्र शामिल हैं।

- **एमडीएमएस पोर्टल के माध्यम से सतत विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी) की गतिविधियों की निगरानी:** एसडीसी योजनाओं और एससीसीएल में गतिविधियों की निगरानी के लिए एमडीएमएस पोर्टल के तहत इंटरफेस विकसित किया गया है, जिसमें खान पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव–पुनर्ग्रहण, संसाधित ओवर बर्डन एससीसीएल में भूमिगत खानों और अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं में स्टोविंग संचालन के लिए बोझ और नीचे की राख का उपयोग शामिल है।

16. उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा– सीआईएल का प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) आउटपुट

(टन में)

वर्ष	प्रति मैनशिफ्ट आउटपुट (ओएमएस)		
	यूजी	ओसी	समग्र
2020–21 (वास्तविक)	0.93	15.09	9.02
2021–22 (वास्तविक) अप्रैल, 21 से अक्तूबर, 21	0.94	14.31	8.40

17. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां नवीनतम डीपीई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाएं आरंभ कर रही हैं। वित्त वर्ष 21–22 के दौरान धन का आवंटन सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार किया गया है, जिसके तहत दो राशियों में से सबसे अधिक–पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या पिछले वर्ष के 2.00 रु. प्रति टन कोयला उत्पादन (सीआईएल (मुख्यालय) के मामले में सीआईएल का समेकित कोयला उत्पादन) एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है। सीआईएल बोर्ड ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियमए 2021 के अनुपालन में नीति दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए अप्रैल 2021 में सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति को मंजूरी दी है।

उक्त सीएसआर नीति ने नए दिशानिर्देशों के रूप में कुछ सुधारात्मक उपाय आरंभ किए हैं जैसे:

(i) 1 वर्ष से पहले पूर्ण और 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सीएसआर परियोजनाओं को प्रभाव आकलन के अध्यधीन किया गया है जिसके लिए प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

(ii) क्षेत्र के महाप्रबंधकों को सीएसआर परियोजनाओं / खनन इलाकों में 5.00 लाख रुपए तक की गतिविधियों को शुरू करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(iii) सीआईएल और सहायक कंपनियों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सीएसआर गतिविधियों और फंड आवंटन को शामिल करते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

(iv) 5.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।

(v) सीएसआर गतिविधियों को अंतिम रूप देते समय, निर्वाचित प्रतिनिधियों/निकायों द्वारा दिए गए सुझावों पर विधिवत विचार करने की आवश्यकता है

(vi) जहां सहायक कंपनियां धन की मांग की औपचारिकताओं का पालन करने पर धन की कमी के कारण सरकार द्वारा अधिदेशित सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित करने में असमर्थ हैं, सीआईएल ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार करेगी।

सीएसआर वैधानिक प्रावधान और पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

कंपनी	2018–19			2019–20			2020–21			2021–22 (अनंतिम आंकड़े)		
	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (कैरी. ओवर सहित)	व्यय	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (कैरी. ओवर सहित)	व्यय	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (कैरी. ओवर सहित)	व्यय	सांविधिक प्रावधान	कुल आवंटन (कैरी. ओवर सहित)	व्यय
ईसीएल	0.32	16.09	16.46	10.03	16.46	11.48	8.84	16.46	11.55	17.47	17.47	8.79
बीसीसीएल	6.52	29.16	1.43	6.21	10	6.01	0	5.54	6.12	0	4.93	2.1
सीसीएल	45.78	88.37	41.14	42.73	89.75	52.89	46.46	46.46	56.59	40.11	40.11	17.78
डब्ल्यूसीएल	0	9.24	4.25	10.64	10.64	9.59	0	11.52	5.94	0	10.06	11.77
एसईसीएल	81.04	158.46	83.55	66.53	158.76	84.65	79.42	79.42	38.33	67.58	67.58	35.27
एमसीएल	136.36	136.36	167.16	156.5	156.5	165.5	168.44	168.44	205.33	181.62	181.62	71.14
एनसीएल	75.44	111.32	73.57	92.27	130.02	83.33	118.23	118.23	129.92	132.75	132.75	60.55
सीएमपीडीआईएल	1.53	1.42	1.58	3.01	3	3.07	4.64	4.64	4.65	5.9	5.9	0.1
सीआईएल (एनईसी सहित)	6.99	113.47	27.33	8.28	207.52	171.32	8.47	137.62	95.36	6.81	105.31	83.17
कुल	**353.98**	**663.89**	**416.47**	**396.2**	**782.65**	**587.84**	**434.5**	**588.33**	**553.79**	**452.24**	**565.73**	**290.67**

**अब तक जारी की गई निधि को व्यय के रूप में दर्शाया गया है।*

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

1. हेल्थकेयर

वित्त वर्ष 18–19 से डीपीई के दिशा–निर्देशों में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी गई है, सीआईएल और सहायक कंपनियां अपने सीएसआर बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य देखभाल पर लगातार खर्च कर रही हैं। एमसीएलए 492.62 करोड़ रुपए की लागत से ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर में महानदी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान (एमआईएमएसआर) की स्थापना कर रहा है जो क्षेत्र के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाएगा। ईसीएल ने दुमका में बन रहे 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 3.5 करोड़ का सहायता की है। इसके अलावा, सीआईएल द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख हेल्थकेयर परियोजनाएं हैं (i) बोन मैरो प्रत्यारोपण द्वारा थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के उपचार के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत प्रति रोगी 10 लाख रुपये की सहायता के लिए 20 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता, (ii) 10 करोड़ रुपये की सहायता से कोलकाता में कैंसर अस्पताल में रेडियोथेरेपी यूनिट की खरीद (iii) 46 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 31 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करना (iv) 5 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिलचर में 40–बेड आईसीयू सुविधा। (v) नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के लिए 30 करोड़ रुपये की सहायता।

2. ग्रामीण विकास

परियोजना 'उत्थान'– एक व्यापक सामुदायिक विकास परियोजना एमसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें 6174 पहचाने गए जरूरतमंद परिवारों की बेहतर आजीविका और जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए 20.30 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर बीएआईएफ पुणे से तकनीकी और क्षेत्र समर्थन लिया गया है। एनसीएल ने सिंगरौली में 8.75 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर आदिवासी महिलाओं के लिए लघु धारक कुक्कुट परियोजना शुरू की है। आय सृजन के लिए घर–आधारित पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना के लिए 250 महिला लाभार्थियों के लिए परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है। सीआईएल ने 'श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट' के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा जोशीमठ में सड़क संरेखण परियोजना के लिए 19 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता की प्रतिबद्धता जताई है।

3. कौशल विकास

सीआईएल द्वारा अखिल भारतीय आधार पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग व्यापार में कौशल विकास परियोजना अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। 21 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का लक्ष्य 3000 बेरोजगार युवाओं (8वीं /10वीं पास) को लक्षित करना है, जो लगभग 80% प्लेसमेंट के अवसर के साथ विभिन्न सीईपीईटी केंद्रों पर 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ईसीएल ने 15.30 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सिकितिया, गोड्डा और झारखंड में स्थित एक आईटीआई को अपनाया है, जहां 212 युवा अच्छी रोजगार क्षमता के साथ 5 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

4. आकांक्षी जिलों में पहल

24 उन जिलों के विकास के उद्देश्य से विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सीआईएल और सहायक कंपनियों को आकांक्षी जिलों का आवंटन किया गया है। सीआईएल द्वारा अपने आकांक्षी जिलों में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं हैं (i) सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र (ii) नारायणपुर, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में एकलव्य विद्यालय, प्रत्येक में 25 (iii) नारायणपुर में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और आंगनवाड़ी केंद्र (iv) संवर्धन सिमडेगा में बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग।

5. निःशक्तजनों का कल्याण

सीआईएल अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से भोपाल में वंचित समुदायों के विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए 12 महीने का कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है, साथ ही अरुशी सोसाइटी के माध्यम से 18–30 वर्ष से विकलांग व्यक्तियों के लिए आजीविका सृजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एक अन्य परियोजना "पहला कदम" धनबाद में पहला कदम स्पेशल स्कूल में पढ़ने वाले अलग–अलग विकलांग छात्रों की शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य विशेष योग्यता वाले बच्चों को अन्य स्कूल जाने वाले बच्चों के समान बनाना है। एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विकलांग और ट्रांस जेंडर के लिए सुलभ शौचालयों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

6. स्वच्छता

(i) अक्टूबर 2020 के दौरान 'स्वच्छता माह' मनाया गया, जिसके दौरान स्वच्छता और स्वच्छता के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की गईं।

(ii) स्वच्छता कार्य योजना के भाग के रूप में विभिन्न गतिविधियां जैसे स्वच्छता के बुनियादी ढांचे का निर्माण, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान की सहायता आदि चलाई जा रही हैं।

(iii) ईसीएल कमान क्षेत्रों में राइट्स के माध्यम से 100 रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में प्री–फैब शौचालयों का निर्माण।

7. कोविड–19 से संबंधित पहलें

सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोविड–19 से संबंधित पहलों पर वित्त वर्ष 20–21 में सीएसआर के तहत कुल 269 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह वित्त वर्ष 20–21 के कुल सीएसआर व्यय का 48.6% यानि रु. 553.85 करोड़ रुपए है।

कुल मिलाकर महामारी के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को कुल 90 करोड़ रुपए वित्तीय

सहायता के रूप में दिए गए हैं। राज्यों को आवंटित राशि इस प्रकार है: महाराष्ट्र (20 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (20 करोड़ रुपये), झारखंड (20 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (20 करोड़ रुपये) और छत्तीसगढ़ (10 करोड़ रुपये)

कोविड –19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा की गई कुछ उल्लेखनीय पहल इस प्रकार हैं:

(क) जीवन रक्षक अवसंरचना निर्माण:

- एमसीएल द्वारा भुवनेश्वर में 1200 बिस्तरों वाला समर्पित कोविड अस्पताल (स्तर 3)
- एमसीएल द्वारा तालचेर, ओडिशा में 150 बिस्तरों वाला समर्पित कोविड अस्पताल
- एसईसीएल द्वारा बिलासपुर और अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले समर्पित कोविड अस्पतालों में बनाया गया है।
- ईसीएल द्वारा हसडीहा, गोड्डा, झारखंड में 200 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल
- सीसीएल द्वारा बोकारो, झारखंड में 150 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल
- सीआईएल द्वारा कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान (केआईएमएस), हुबली, कर्नाटक में 100 बेड का आईसीयू बेड में रूपांतरण।

(ख) आय सृजन के अवसर:

- एनसीएल द्वारा खादी और हथकरघा में प्रशिक्षित महिलाओं ने विभिन्न एजेंसियों को मास्क बेचे।
- एमसीएल ने ओडिशा में महिला एसएचजी से 3.10 लाख मास्क खरीदे, जिससे लगभग 200 महिलाएं लाभान्वित हुईं।
- सीआईएल ने लॉकडाउन में पर्यटन स्थलों के बंद होने के कारण अपनी आजीविका खोने वाले कलाकारों की मदद करने के लिए "भारत के कलाधर्मी" परियोजना को क्रियान्वित किया।
- सीएसआर के तहत लागू की गई सिविल निर्माण परियोजनाओं में खानों के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार।
- सीआईएल ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय, नई दिल्ली की 150 वंचित छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए ताकि उन्हें डिजिटल रूप से शिक्षित किया जा सके क्योंकि तालाबंदी के दौरान स्कूल बंद थे।

(ग) वंचितों की मदद करना:

- कोविड उपचार के लिए बनाई गई सुविधाओं में मुफ्त इलाज जैसे कि भुवनेश्वर, ओडिशा में एसयूएम अस्पताल।
- 5.5 लाख से अधिक पके हुए भोजन/सूखे राशन के पैकेट वितरित किए गए (श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 71,000 सहित)।

खानों के आस–पास के क्षेत्रों में 17.50 लाख से अधिक मास्क व 80000 लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर वितरित किए गए।